न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर केम्प कोर्ट ग्राम बूबानी

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 1/2017

उनवान

1. रतनसिह पुत्र स्0 श्री बालू रावत जाति रावत उम्र 66 वर्ष निवासी ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री बालू रावत जाति रावत उम्र 64 निवासी ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर
3. नारायण सिंह पुत्र स्व0 श्री बालू रावत जाति रावत उम्र 54 निवासी ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर
4. बीरम सिंह पुत्र स्व0 श्री बालू रावत जाति रावत उम्र 52 निवासी ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर
5. श्रीमति तोली देवी पत्नी श्री सुमेर सिह जाति रावत उम्र 40 निवासी ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर

आवेदनकर्त्ता

बनाम

1. भू धारक श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर
   अप्रार्थी
2. प्रभू सिंह पुत्र स्व0 श्री बालू रावत उम्र 62 निवासी ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर
   प्रोफार्मा अप्रार्थी

अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश **दिनांक 09.12.2021**

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत बूबानी में पेश हुई। पेरोकार सरकार एवं तहसीलदार अजमेर उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर

Scanned by CamScanner

अवस्थित खाता संख्या 864 पुराना खसरा नम्बर पुराना 1713 नया खसरा नम्बर 1807 रकबा 0.12, 1808 रकबा 0.09, 1809 रकबा 0.03, 1810 रकबा 0.03, 1811 रकबा 0.38, 1812 रकबा 0.30, 1813 रकबा 0.25 है। उक्त वादग्रस्त आराजियात का पुराना खसरा नम्बर 864 है जिसका कुल रकबा सात बीघा आठ बिस्वा है। उक्त खसरा नम्बर 864 का नया खसरा नम्बर 1713 बना जिसका भी कुल रकबा सात बीघा आठ बिस्वा है । उक्त खसरा नम्बर 1713 के नये नम्बर 1807, 1808, 1809, 1010, 1811, 1812,व 1813 बने जिसमें खसरा नम्बर 1807 का रकबा 0.38, 1812 का 0.30, व 1813 का 0.25 है जो कुल रकबा सात बीघा आठ बिस्वा है व इस प्राकर उक्त आराजी के क्षैत्रफल में कोई बदलाव या परिवर्तन नही है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1713 के कुल रकबा सात बीघा आठ बिस्वा का आपसी सहमति से बटवारा किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 1018 दिनांक 27.7.2010 से रतन सिह पुत्र स्व0 श्री बालू रावत 02–04–10, लक्ष्मण सिह पुत्र स्व0 श्री बालू रावत 00–'18–00, नारायण सिह पुत्र स्व0 श्री बालू रावत को 01–17–00, श्रीमति तोली देवी पत्नी सुमेरसिह रावत को 00–13–00, प्रीतूसिह पुत्र स्व0 बालू रावत को 00–12–10, रतन सिह, लक्ष्मणसिह, बीरमसिह, पभुसिह व नारायण सिह पुत्र स्व0 बालू व श्रीमति तोली देवी पत्नी श्री सुमेरसिह के नाम संयुक्त रूप से 00–14–00 से अंकन किया गया । उक्त वादग्रस्त आराजीयात का नक्शा तरमीम सन् 1941–42 व नक्शा तरमीम 1971–72 व नक्शा तरमीम सन् 1984–85 बनाया गया है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियो द्वारा बनाया गया है लेकिन उपरोक्त नक्शा तरमीम में से जो नक्शा सन् 1984–85 तरमीम किया गया है उक्त नक्शा तरमीम राजस्व अधिकारिया`ने मिथ्या गलत व मनगडन्त नक्शा तरमीम किया है जबकि पूर्व के नक्शे सन् 1941–42 व नक्शा तरमीम 1971–72 के नक्शे तरमीम से संगत प्रतीत नही होता है क्योकि उक्त दोनो नक्शो में खसरा नम्बर पुराना 15 के पास तालाब की पाल दर्शायी है व उक्त पाल तक खसरा नम्बर 1713 जो कि तिकोना बना हुआ है लेकिन वर्तमान नक्शा तरमीम सनप् 1984–85 में उक्त खसरा के अलग अलग भाग किये गये है जो कि उक्त पाल के पास में बिल्कुल सीधा तरमीम कर दिया है जो पूर्णतया अनुचित व गलत है व जिससे मौके पर सीमा ज्ञान करवाये जाने पर बाधाए उत्पन्न हुई है और मौका एवं नक्शा में भी अन्तर आया हुआ है जबकि मौके पर पूर्व के नक्शे सन् 1941–42 व नक्शा तरमीम 1971–72 से उक्त वादग्रस्त आराजीयात मिलान करती है । प्रार्थीगण को उक्त

Scanned by CamScanner

गलत नक्शा तरमीम की जानकारी सर्वप्रामि दिनांक 15.3.2013 को हुई जब उन्होने दिनांक 15.3.2013 को सन् 1984–85 के नक्शे तरमीम की प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की व इसके पश्चात प्रार्थीण ने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 में अंकितानुसार राजस्व रिकार्ड में नक्शे को सही तरमीम करने के लिए हल्का पटवारी से अनेको बार निवेदन यिका व अन्तिम बार दिनांक 21.10.2013 को निवेदन किया लेकिन दिनांक 21.10.2013 को हल्का पटवारी ने गलत नक्शे को सही तरमीम करने से इन्कार कर दिया व प्रार्थीगण से कहा कि सक्षम न्यायालय का आदेश लाने पर ही नक्शे को सही तरमीम किये जावेगा । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जावे व अप्रार्थी संख्या 1 को निर्देश दिया जावे कि उनके द्वारा सन् 1984–85 में गलत तरमीम नक्शे को निरस्त किया जावे व उक्त प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णनानुसार आराजीयात का पूर्व में बनाये गये इनके नक्शे तरमीम सन् 1941–42 व सन् 1971–72 के अनुसार नया नक्शा तरमीम कर बनाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

तहसीलदार अजमेर ने दौराने केम्प जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वर्किंग खसरा नम्बर 1713 रकबा रकबा 07–08–00 खाता संख्या 318 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी के संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज थी । बटवारा नामान्तकरण संख्या 1019 दिनांक 23.7.2010 से उक्त खसरो संलग्न मानचित्र हाल अनुसार भूमि दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मानचित्र मे चाही गयी दुरूस्ती से खसरा नम्बर 1813 व 1811 के लगते हुए पश्चिमी दिशा के खसरे 1815, 519,250/4593 व रास्ते का खसरा आदि प्रभावित होते है। उक्त खसरो के खातेदार को पक्षकार संयोजित नही किए जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट मुताबिक के वर्किंग खसरा नम्बर 1713 रकबा रकबा 07–08–00 खाता संख्या 318 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी के संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज थी । बटवारा नामान्तकरण संख्या 1019 दिनांक 23.7.2010 से उक्त खसरो संलग्न मानचित्र हाल अनुसार भूमि दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मानचित्र मे चाही गयी दुरूस्ती से खसरा नम्बर 1813 व 1811 के लगते हुए पश्चिमी दिशा के खसरे 1815, 519,250/4593 व रास्ते का खसरा आदि प्रभावित

Scanned by CamScanner

होते है। उक्त खसरो के खातेदार को पक्षकार संयोजित नही किए जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विषलेशण अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अंस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

महावीर सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner